

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम -1948 से आवर्त नियोजनों में देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत शासक सं० 401/36-3-06-7(न्यून वे०)/04 दिनांक 24.02.2006 से मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी दरें मासिक आधार पर निकाली गई हैं, जिसकी दैनिक दर मूल मजदूरी और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के योग के 1/26 से कम न होगी। उक्त के अनुक्रम में निम्नांकित 59 नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (1982=100) के 522 अंको के ऊपर जनवरी 2008 से जून 2008 के औसत 635 (छः सौ पैंतीस मात्र) पर दिनांक 01.10.2008 से दिनांक 31.03.2009 तथा जुलाई 2008 से दिसम्बर, 2008 के औसत 677 (छः सौ सतहत्तर मात्र) पर दिनांक 01.04.2009 से दिनांक 30.09.2009 तक परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भांति गणना करके देय है :-

दृष्टान्त :- रूपये 2600.00 प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत मूल्य सूचकांक 677 पर दिनांक 01.04.2009 से दिनांक 30.09.2009 तक देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित होगा ।

$$\frac{(677-522)}{522} \times 2600 = ₹ 772.03 \text{ प्रतिमाह}$$

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रति माह परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते की दरें निम्नवत् हैं :-

क्र०	श्रेणी	प्रतिमाह मजदूरी ₹० में	प्रतिमाह परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता रूपये में	
			दि० 01.10.2008 से दि० 31.03.2009 तक	दिनांक 01.04.2009 से दिनांक 30.09.2009 तक
1	2	3	4	5
1	अकुशल	2600.00	562.83	772.03
2	अर्द्ध कुशल	2964.00	641.63	880.11
3	कुशल	3290.00	712.00	978.92

नियोजनों के नाम :-

- स्वर की विनिर्माणशाला और स्वर उत्पाद (टायर और ट्यूब सहित) के उद्योग
- प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग
- मिष्ठान उद्योग
- वारिस पेयों (एरेटेड ड्रिंक्स) के विनिर्माण
- फलों के रसों की विनिर्माणशाला
- परतदार लकड़ी (प्लाईवुड) के उद्योग
- पेट्रोल और डीजल आर्सेल पम्प
- डेरी और मिल्क डेरी
- सिले शिलार्ये कंपड़ों की विनिर्माणशाला
- बांध तटबन्ध के निर्माण और अनुरक्षण, सिंचाई परियोजनाओं कुओं और तालाबों की खुदाई
- उन समस्त रजिस्ट्रीकृत कारखानों में नियोजन, जिनका उल्लेख पहले नहीं किया गया है ।
- प्राइवेट क्लीनिंगों और प्राइवेट डाक्टरी शागान की दुकानों
- ढलाई घर
- धातु उद्योग
- टिन प्लेट शेपिंग और टिन प्रिंटिंग
- ऐसे अभियन्त्रण उद्योग जिसमें 50 से कम व्यक्तित नियोजित हों ।
- चर्म शोधनशाला और चर्म विनिर्माण शाला
- चर्म वस्तु विनिर्माण उद्योग
- होजरी संकर्म
- निजी पुस्तकालय
- काष्ठ संकर्म और फर्नीचर उद्योग
- प्राइवेट कोचिंग कक्षाओं प्राइवेट विद्यालयों, जिनमें नर्सरी स्कूल और निजी प्राथमिक संस्थान भी सम्मिलित हैं।
- तम्बाकू विनिर्माण
- धर्मशाला
- वार्निकी (फारेस्ट्री) लकड़ा बनाने और फाष्ठ कार्य, जिसके अन्तर्गत किराी अन्य वन संपदा का संग्रहण और उसे मण्डी में ले जाना भी है,
- दुकान
- वाणिज्य अधिष्ठान

28. घायल गिल, आटा गिल या चाल गिल
29. तेल गिल
30. लोक मोटर परिवहन
31. यांत्रिक परिवहन कर्मशाला
32. आटोमोबाइल रिपेयर कर्मशाला
33. सड़कों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने या निर्माण संक्रियाओं
34. पत्थर तोड़ने या पत्थर कुटने
35. धियारालाई उद्योग
36. आइसक्रीम/ आइस्क्रीम विनिर्माणशाला
37. चर्फ विनिर्माणशाला
38. एस्बेस्टस सीमेन्ट कारखानों और अन्य सीमेन्ट उत्पाद विनिर्माणशाला
39. लाण्ट्री और धुलाई अधिष्ठान
40. देकरी और विस्कुट विनिर्माणशाला
41. धिकन के कार्य
42. जिल्दराजी
43. कौल्ड स्टोरेज
44. पाटरी, सिरेमिक्स या रिफ्रिजरीज
45. निजी मुद्रणालय
46. सिनेमा उद्योग
47. कपड़ा छपाई
48. सिलाई उद्योग
49. एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी फार्मसी
50. चलय
51. हथकरघा (शिल्क की साड़ी की बुनाई ) जरी के कार्य
52. कपड़ा धोने या प्रसाधन के साबुन या सिलिकेट या साबुन का दूर्ण या प्रक्षालक विनिर्माण
53. ऊनी कम्बल बनाने के अधिष्ठान
54. खाण्डशारी
55. हथकरघा उद्योग
56. शक्ति चालित करघा उद्योग
57. छोटा (मेनिएचर) बल्ब एवम् कौब उत्पादों के निर्माण
58. कागज, गत्ता और पेपर बोर्ड उद्योग
59. ईट भठठा उद्योग

(जर्नी आयशा)

उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,  
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी० टी० रोड, कानपुर ।

सं०- 432-52 / सं०अनु०-(ग० भत्ता)

दिनांक 08 अप्रैल 2009

प्रतिलिपि :-

1. रामरतन क्षेत्रीय डायरेक्टर / उप श्रम आयुक्त, सं० प्र०, को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराये तथा श्रमिकों, सेवागोचरों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा गौंने जाने पर उपलब्ध कराये।
2. अनुसचिव सं० प्र० शासन, श्रम अनुभाग-3, लखनऊ ।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा / ग्रेटर नोएडा।
4. विकास आयुक्त, विशेष आर्थिक परिक्षेत्र, नोएडा।
5. प्रवर्तन प्रभाग।
6. नोटिस बोर्ड ।

(जर्नी आयशा)

उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।  
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।